

सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 29 / 2015

दर्ज दिनांक:—09.06.2015

1. नरेन्द्र कुमार पता—प्रार्थी
बनाम
2. सुरेश पता—अप्रार्थीगण

उपस्थित:
प्रमोद कुमार

प्राथी अभिभाषक
अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:—28.03.2019

वकील वादीगण उप. / बार-बार अवसर देने के बाद भी तलवी प्रतिवादीगण की नहीं कराई गई। कई अवसर दिये जा चुके हैं। तलवी के अभाव में दावा अपालना में खारिज करने की चेतावनी भी दी जा चुकी है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा के प्रति सजग नहीं है। अतः दावा वादी 09-नि.5 सीपीसी के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

संजय गोयल(आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official